


नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक : 1 नवम्बर 2019

सेवा में,



विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार पत्र दिनांक 04.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि अद्योहस्थाक्षरित को आर. टी. आई. प्रकोष्ठ, व्यय विभाग के पत्र सं.11(17)/2019-आरटीआई के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत दिनांक 28.10.2019 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में, कहा जाता है कि प्रशासन 1(क) एवं प्रशासन 1(ख) अनुभागों द्वारा किसी भी अधिकारी /कर्मचारी की सेवा समाप्ति नहीं की गयी है। अतः इस संदर्भ में बिन्दु 1, 2 एवं 3 की सूचना शून्य समझी जाए।

2. अपील यदि कोई हो, श्री अरविन्द सरन, निदेशक(प्रशासन) व प्रथम अपिलेट प्राधिकारी, राजस्व विभाग, कमरा न.48-ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर की जा सकती है।

भवदीय,

राघवेन्द्र सिंह  
(राघवेन्द्र सिंह कुशवाह)

अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि: आर.टी.आई. सेल, राजस्व विभाग को उनके पत्र सं.1279742 दिनांक 31.10.2019 के संदर्भ में प्रेषित।

Ad-IA, Section.

4/11/2019